PAGE 1 OF 8	अभियोजन साक्षी संख्याः 08

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 2373/2023		
राज्य	**बनाम**	सूरज शुक्ला

नाम साक्षीः अमरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व० श्री शिव बहादुर सिंह	अपराध संख्या-90/2023
उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः पुलिस निरीक्षक	धारा- 302, 201, 120B भा0 द 0 वि0
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात	थाना-सिकन्दरा, कानपुर नगर।

दिनांकः-03.01.2025 से प्रतिपरीक्षा जारी....
दिनांकः-10.01.2025

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त सूरज शुक्ला

मैं **साक्षीः अमरेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र स्व० श्री शिव बहादुर सिंह, उम्रः लगभग 50 वर्ष, पेशाः पुलिस निरीक्षक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि....

20. मैंने वादी मुकदमा हरिओम त्रिपाठी का बयान अंकित किया था। वादी मुकदमा ने अपने बयानों में अभियुक्त सूरज शुक्ला का नाम नहीं बताया था। यदि वादी मुकदमा ने मुझे अभियुक्त सूरज शुक्ला का नाम बताया होता तो मैं धारा 161 द०प्र०सं० के बयानों में अभियुक्त सूरज शुक्ला का नाम अवश्य लिखता। यह बात भी सही है कि मृतक के पिता इन्द्र कुमार ने भी अपने धारा 161 द०प्र०सं० के बयानों में मुझे सूरज शुक्ला का नाम नहीं बताया था, यदि बताया होता तो मैं अवश्य लिखता। यह भी कहना सही है कि मैंने अपनी विवेचना में जितने भी गवाहों के बयान लिये हैं, उन्होंने अभियुक्त सूरज शुक्ला का नाम नहीं लिया था।

21. सूरज शुक्ला को थाने पर बुलाया गया था तथा उससे पूछताछ की गयी थी, पूछताछ के दौरान उसने इस बात की स्वीकार किया था कि मेरी अर्चना नाम की लड़की से प्रेम संबंध है, मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो मेरी ही गाँव के

लड़के नितेश त्रिपाठी जो एयरफोर्स में सर्विस करता है, से संबंध है। जिस कारण से वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं थी। जिससे मैं खिन्न रहता था। यह बयान मैंने दिनांक 17.06.2023 को लिया था, किस समय लिया था यह मुझे याद नहीं है।

22. यह कहना सही है कि सूरज शुक्ला की इस केस में संलिप्तता ना पाने के कारण उसे थाने से छोड़ दिया था।

23. यह बात सही है कि जाँच में मेरे साथ स्थानीय फोरेंसिक टीम रही थी।

24. मैंने अभियुक्तों की सीडीआर (कॉल डिटेल रिकॉर्ड) निकलवायी थी। इस समय मुझे याद नहीं है कि सूरज शुक्ला की सीडीआर में अन्य अभियुक्तों से वार्तालाप का विवरण है या नहीं।

25. मैंने मृतक नितेश त्रिपाठी की कॉल डिटेल निकलवायी थी जिसमें दो लड़कियों से वार्तालाप होने का विवरण पाया गया था। सूरज शुक्ला, अर्चना अवस्थी से बातचीत करता था यह बात उसने अपने बयानों में स्वीकार की थी और यह भी बताया था कि मैं अर्चना अवस्थी की माँ व उसकी बहन के मोबाइल नम्बर पर भी अर्चना अवस्थी से बात करता था। अर्चना अवस्थी के मोबाइल नम्बर की सीडीआर लांग टर्म की नहीं मांगी गयी थी। घटना से संबंधित अवधि के दौरान की ही सीडीआर मांगी गयी थी। मुझे यह याद नहीं है कि घटना के समय की सीडीआर जो मैंने निकलवायी है उसमें अर्चना अवस्थी व सूरज शुक्ला की कॉल डिटेल है या नहीं।

26. सूरज शुक्ला की गिरफ्तारी की तारीख मुझे याद नहीं है, केस डायरी देखकर मैं बता सकता हूँ। यह याद नहीं है कि मैंने पुनः उसे कब गिरफ्तार किया था।

27. यह कहना गलत है कि सूरज शुक्ला के बयानों के अलावा अन्य किसी गवाहों के बयानों से सूरज शुक्ला अभियुक्त ना हो।

28. **प्रश्नः** आप द्वारा सूरज शुक्ला के लिखे बयानों के अलावा और कोई साक्ष्य सूरज शुक्ला के खिलाफ इस मुकदमें में नहीं पाया गया ?

उत्तरः सूरज शुक्ला व अर्चना अवस्थी को एफआईआर लिखने के उपरांत विवेचना कार्यवाही के दौरान जब बुलाया गया था और दोनों लोगों के बयान अंकित किये गये थे। बयानों से सूरज शुक्ला ने इस बात को स्वीकार किया था कि मैं अर्चना अवस्थी से प्यार करता हूँ। अर्चना अवस्थी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि सूरज शुक्ला से मेरे सम्बन्ध हैं लेकिन जब सूरज शुक्ला को नितेश त्रिपाठी से मेरे सम्बन्ध की जानकारी हुई तो वह नाराज हुआ। इधर, सूरज शुक्ला का नम्बर अर्चना अवस्थी ने ब्लॉक कर दिया था जिससे सूरज शुक्ला काफी परेशान था। चूंकि, मृतक नितेश त्रिपाठी की मृत्यु के दिन अर्चना अवस्थी से करीब आठ बार बात हुई थी, इस

कारण से अर्चना अवस्थी के विषय में जब गहन जानकारी की गयी तो सूरज शुक्ला का नाम प्रकाश में आया था। जब सूरज शुक्ला के बारे में लोगों से जानकारी करने का प्रयास किया गया तो अपना नाम प्रकाश में ना आने की बात पर बताने को तैयार हुए कि सर मेरा नाम गवाही में ना लाये तो मैं घटना के सम्बन्ध में बता सकता हूँ।

29. यह कहना सही है कि अर्चना अवस्थी द्वारा सूरज शुक्ला के द्वारा इस घटना से सम्बद्ध होना नहीं बताया गया।

30. मैंने ऐसे लोगों का बयान नहीं लिया और ना ही उनके बयान लिखे।

31. यह कहना गलत है कि मैंने इस मुकदमें की निष्पक्ष जाँच ना की हो और सूरज शुक्ला को गलत फंसा दिया हो।

32. यह कहना गलत है कि मैं सूरज शुक्ला को इस मुकदमें में गलत फंसाकर आज मा० न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त अनुज यादव

33. **प्रश्नः** यह मामला सीधी साक्ष्य (डायरेक्ट एवीडेंस) का नहीं था बल्कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य का था ?

उत्तरः वादी मुकदमा व उसके पिता द्वारा दो अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया था तथा वादी मुकदमा की माँ ने भी अपने बयानों में बताया था कि अनुज यादव मेरे बेटे को ले गया है।

34. यह कहना सही है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

35. यह कहना गलत है कि मैंने मुख्य परीक्षा में बयान केवल मुल्जिनों के बताने के आधार पर ही सारी घटना बतायी हो।

36. यह कहना सही है कि पहली बार अनुज यादव को थाने पर बुलाकर पूछताछ करने के उपरान्त छोड़ दिया गया था।

37. **प्रश्नः** इस मुकदमें की एफआईआर में अभियुक्तों के नाम शक के आधार पर लिखाये गये थे ?

उत्तरः यह सही है कि एफआईआर में मुल्जिमों के नाम शक के आधार पर लिखाये गये थे।

38. मृतक नितेश की माँ ने अपने बयानों में यह बताया था कि अनुज ने नितेश से बीस हजार रुपये उधार लिये थे। अन्य किसी गवाह ने यह बात नहीं बतायी थी।

39. मुझे वो दिनांक याद नहीं है जब अनुज यादव की गिरफ्तारी दूसरी बार चालान करने हेतु हुई थी।

40. यह कहना सत्य है कि गिरफ्तारी के समय मुखबिर ने बताया था कि अनुज यादव फला जगह खड़ा है।

41. **प्रश्नः** आपने केस डायरी के पर्चा सं० 20 में यह अंकित किया है कि "मुखबिर ने मुझे यह बताया कि नितेश फौजी की हत्या के बारे में मैंने पक्की जानकारी कर ली है।" क्या यह सत्य है ?

उत्तरः सत्य है।

42. यह मुझे अभी याद नहीं है कि दिनांक 11.06.2023 को मृतक की उपस्थिति की लोकेशन कहाँ कहाँ पर पायी गयी थी।

43. यह कहना गलत है कि व्हील पाने पर कोई खून ना मिला हो और अनुज यादव के दोनों हाथों में कोई खून न पाया गया हो।

44. जब पहली बार अभियुक्त अनुज यादव को बुलाया गया था तब अभियुक्त अनुज यादव ने अपने जुर्म का इकबाल नहीं किया गया था और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था, इस कारण से फील्ड यूनिट को नहीं बुलाया गया था।

45. अनुज यादव ने मृतक नितेश त्रिपाठी से दिनांक 11.06.2023 को सुबह साढ़े नौ बजे के लगभग बात की थी। उस दिन कितनी देर बात की थी यह मुझे याद नहीं है। इसके बाद उस दिन अनुज यादव की कोई कॉल नितेश त्रिपाठी के फोन पर नहीं आयी थी।

46. यह कहना गलत है कि मृतक नितेश त्रिपाठी की मृत्यु सड़क दुर्घटना से हुई हो।

47. यह भी कहना गलत है कि मैंने मृतक के परिजनों से मिलकर अनुज यादव के खिलाफ गलत आरोप पत्र प्रस्तुत किया हो।

48. यह भी कहना गलत है कि मैंने इस मामले में निष्पक्ष विवेचना ना की हो।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त प्रदीप यादव

49. **प्रश्नः** क्या हरिओम त्रिपाठी ने धारा 161 द०प्र०सं० के बयान में यह बताया है कि मेरे भाई नितेश त्रिपाठी का प्रदीप यादव से पैसे का लेनदेन जिसमें आपस में कहासुनी थी, जिसको लेकर प्रदीप मेरे भाई नितेश से रंजिश रखता था। क्या ऐसा बयान वादी मुकदमा दिया था ?

उत्तरः वादी मुकदमा ने अपने बयानों में यह बात नहीं लिखायी थी जबकि वादी मुकदमा का भाई रमन, माँ सीमा देवी व पिता इन्द्र कुमार ने अपने बयानों में उक्त बात लिखायी थी।

50. **प्रश्नः** क्या प्रदीप यादव की सीडीआर आपने दाखिल की है और उसमें कोई बात प्रदीप यादव से इस घटना से संबंधित कोई अभिलेख आपको प्राप्त हुआ था जिसे आपने सीडी में संलग्न किया हो ?

उत्तरः नहीं।

51. मैंने अपने पर्चा सं० 5 में प्रदीप द्वारा दिये गये बयानों में यह उल्लेख किया है कि मैं दिनांक 11.06.2023 को ओरेन इण्डियन आयल पेट्रोल पम्प पर था और वहीं पास में भी सुबह सात बजे से रात्रि साढ़े नौ बजे तक जेसीबी चलवा रहा था। दिनांक 12.06.2023 को हरिओम त्रिपाठी का फोन आया था और अपने भाई नितेश त्रिपाठी के साथ हुई घटना के बारे में बताया था, तब से मैं भी परेशान हूँ कि यह घटना कैसे घटी और किसने ऐसा किया है। इसकी जानकारी हमें नहीं है।

52. ओरेन इंडियन आयल पेट्रोल पम्प बांदा में है। उक्त बयान के बाद प्रदीप को थाने से छोड़ दिया गया था।

53. **प्रश्नः** आपकी विवेचना में ऐसा कोई स्वतंत्र साक्षी यह बताने वाला मिला कि प्रदीप यादव को घटना कारित करते हुए मैंने देखा है ?

उत्तरः विवेचना में घटना कारित करते समय प्रदीप की उपस्थिति के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया है।

54. **प्रश्नः** क्या यह बात सही है कि प्रदीप यादव को इकबालिया बयानों के आधार पर मुल्जिम बनाया है ?

उत्तरः मृतक के परिवारीजनों ने मृतक नितेश त्रिपाठी व प्रदीप यादव के बीच पैसों का लेनदेन बताया था और यह भी बताया था कि पैसों के लेनदेन के कारण इनलोगों ने मेरे बेटे की हत्या की थी।

55. **प्रश्नः** आपने दौरान विवेचना प्रदीप यादव द्वारा नितेश से तीन लाख रुपये लेने के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त किया या नहीं ?

उत्तरः अभिलेखीय साक्ष्यों में नितेश त्रिपाठी के खाते से प्रदीप यादव के पिता सुरेन्द्र सिंह के खाते में एक बार चालीस हजार रुपये, दोबारा पैंतीस हजार पेटीएम के माध्यम से भेजे गये। इसके बाद पन्द्रह सौ रुपये, कुल 76,500/- रुपये भेजे गये।

56. दीपांशी यादव जो प्रदीप यादव की बहन हैं, उसने अपने खाता सं०- 39888100014436 से 04.07.2020 से लेकर 10.12.2022 तक विभिन्न तिथियों में पैसे नितेश के खाते में भेजे हैं जिसका उल्लेख मैंने सीडी में किया है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि मृतक नितेश त्रिपाठी के खाते से पेटीएम के माध्यम से अभियुक्त प्रदीप यादव की बहन दीपांशी यादव के खाते में भी पैसे भेजे गये हैं। जिसके संबंध में बैंक के स्टेटमेंट व मोबाइल की स्क्रीनशॉट की प्रतियों को संलग्न केस डायरी किया है।

57. **प्रश्नः** एससीडी में अंकित रुपये जो दीपांशी यादव द्वारा दिया गया वह कितना रुपया दिया गया और नितेश त्रिपाठी द्वारा दीपांशी यादव को कितना रुपया दिया गया। इसमें किसके द्वारा अधिक रुपया दिया गया। क्या इसका कोई आगणन आपके पास है ?

उत्तरः केस डायरी में मृतक के परिजन के बयान व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर नितेश त्रिपाठी द्वारा प्रदीप यादव को अधिक पैसे दिये गये हैं।

58. **प्रश्नः** क्या आपने अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर कोई गणना की है या केवल मृतक आश्रितों के बताने पर ही आपने उल्लेख किया है ?

उत्तरः अभिलेख के माध्यम से मृतक नितेश त्रिपाठी के पेटीएम के द्वारा एक लाख पच्चीस हजार रुपये का लेनदेन हुआ है जबकि नगद तीन लाख रुपये का लेनदेन बताया गया है किन्तु नगद तीन लाख रुपयों का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है।

59. विवेचना में यह बात आयी है कि डंपर खरीदने के लिए प्रदीप ने तीन लाख रुपये लिये थे। किसके समक्ष तीन लाख रुपये नगद लिया गया इसका उल्लेख केस डायरी में नहीं है।

60. **प्रश्नः** आपकी विवेचना ऐसी कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गयी है कि प्रदीप यादव को कथित घटना वाले दिन कानपुर देहात के किसी गांव, कस्बे या मोहल्ले में देखा गया हो ?

उत्तरः यह कथन सत्य है कि उसे कानपुर देहात में घटना वाले दिन नहीं देखा गया लेकिन घटना कारित करने की योजना में इनकी संलिप्तता थी।

61. **प्रश्नः** प्रदीप यादव की घटना में संलिप्तता के संबंध में कोई स्वतंत्र साक्ष्य इस बात का मिला कि प्रदीप यादव घटना की योजना अमुक लोगों के साथ बना रहे थे ?

उत्तरः प्रदीप यादव की घटना में, घटना की योजना बनाने की बात उसके सहअभियुक्तों ने बतायी थी।

62. **प्रश्नः** क्या यह बात सही है कि प्रदीप यादव को इस केस के सहअभियुक्तों के इकबालिया बयानों के आधार पर अभियुक्त बनाया है ?

उत्तरः नितेश त्रिपाठी की हत्या की एफआईआर में प्रदीप यादव का नाम अंकित है और उसके परिजनों द्वारा भी यह बताया गया था कि पैसों के लेनदेन में हुए विवाद के कारण प्रदीप यादव व अनुज यादव ने मिलकर नितेश त्रिपाठी की हत्या की है तथा यह बात गिरफ्तारी के दौरान सहअभियुक्तों ने भी बतायी थी।

63. **प्रश्नः** क्या यह बात सही है कि एफआईआर संभावनाओं पर दर्ज करायी गयी थी ?

उत्तरः मृतक की मृत्यु के समय कोई चश्मदीद साक्षी नहीं था। मृतक का दोस्त अनुज यादव उसको घर से बुलाया था। प्रदीप यादव से पैसे के लेनदेन को लेकर कई बार कहासुनी हुई थी। जिस आधार पर वादी मुकदमा द्वारा प्रदीप यादव का नाम एफआईआर में अंकित कराया गया था और विवेचना के दौरान प्रदीप यादव की घटना में साजिश करने की संलिप्तता पायी गयी थी।

64. **प्रश्नः** क्या प्रदीप यादव व मृतक नितेश त्रिपाठी व उनके परिवारीजनों द्वारा पैसों के लेनदेन के विवाद का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त किया ?

उत्तरः नहीं।

65. आज माल मुकदमाती मा० न्यायालय में उपलब्ध नहीं है लेकिन पिछली तारीख में माल मुकदमाती मेरे सामने मा० न्यायालय में उपस्थित था।

66. **प्रश्नः** क्या आपके द्वारा घटना वाले दिन ओरेन पेट्रोल पम्प बांदा में जहाँ वह अपनी जेसीबी चलवा रहा था, की सीसीटीवी फुटेज दौरान विवेचना प्राप्त की थी ?

उत्तरः प्रदीप यादव द्वारा अपने बयानों में बताया गया था कि अमुक तिथि को मैं ओरेन पेट्रोल पम्प में मौजूद था लेकिन उसके द्वारा उक्त संबंध में कोई सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया और ना ही कोई अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।

67. **प्रश्नः** क्या आपने इस विवेचना में प्रदीप द्वारा यह बताये जाने पर कि वह ओरेन पेट्रोल पम्प बांदा में मौजूद था, इसके बाबत अभियुक्त के बारे में एक विवेचक होने के नाते सही घटना की जानकारी के लिए आपने स्वयं उक्त पेट्रोल पम्प का सीसीटीवी फुटेज लेना उचित नहीं समझा ?

उत्तरः प्रदीप यादव को जब उक्त घटना के संबंध में पूछताछ हेतु बुलाया गया था तो उससे बताया गया था कि अगर कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह आपकी उपस्थिति की हों, तो आप उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु उसके द्वारा मुझे सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं करायी गयी।

68. मैंने पेट्रोल पम्प के मालिक व किसी भी कर्मचारी का बयान नहीं लिया था।

69. यह कहना गलत है कि प्रदीप यादव को पर्याप्त साक्ष्य के बिना ही अभियुक्त बना दिया हो।

70. यह कहना गलत है कि प्रदीप यादव, नितेश त्रिपाठी की हत्या करने की साजिश में शामिल ना रहा हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

hans